Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

# न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R-3813-PP/2016

राजस्व प्र.क. ...../निग./2016

रशीद खां आ0 श्री जम्मू खां
निवासी ग्राम इस्लाभ नगर
तहसील हुजूर जिला भोपाल —— आवेदक

विरूध्द

बेबी पुत्री वहीद खां
निवासी म नं 2 बैंक नगर फेस–2
अशोक बिहार भोपाल (मृतिका)

5/11/16 SO

2 अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल अजीज (पति)

455 5/11/16

3 शाहाना परवीन पुत्री अब्दुल मजीद पत्नि
श्री अजहर बेग (पुत्री)

4 मो0 सोहेल पुत्र अब्दुल मजीद (पुत्र)

5 शाबाना परवीन पुत्री अब्दुल मजीद
पत्नि मो0 हसीब (पुत्री)

6 फरहाना परवीन पुत्री अब्दुल मजीद
पत्नि श्री अब्दुल सलाम (पुत्री)

7 मो0 शाहवर पुत्र श्री अब्दुल मजीद (पुत्र)

8 मो0 फैसल पुत्र अब्दुल मजीद (पुत्र)
सभी वयस्क,
सभी निवासीगण–म नं 2, बैंक नगर,.
अशोक बिहार, भोपाल (म0प्र0) —— अनावेदकगण

# निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

मान्यवर,

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है :-

यह कि निगरानीकर्ता/आवेदक ने विद्वान अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के रा.प्र.क.120/अपील/09-10 ग्राम इस्लाम नगर में पक्षकार रशीद खान विरूध्द बेबी व अन्य में अंतरिम आदेश दिनांक 30.09.2016 से असंतुष्ट होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक** निगरानी 3813—पीबीआर/16 [रशीद खां / केवी] जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 10—11—2016 | आवेदक की ओर से श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30—9—2016 की सत्यप्रतिपि का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने एक ओर तो आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने का आदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर अवसर मांगने के आवेदन पत्र को निरस्त किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अंतिम पंक्ति "अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 49 (3) आवेदन पत्र दिनांक 22—3—2016 सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है" को विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय आवेदक को आवेदन पत्र के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए प्रकरण का निराकरण करें ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |